

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/ 2022/1040

दिनांक:- 7/2/22

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में अनिस्तारित आवासीय भूखण्डों/आवासों /प्लैटों के निस्तारण हेतु खण्ड कार्यालयों/उप आवासन आयुक्तों की अनुशंसा के आधार पर चिन्हित महत्वपूर्ण सम्पत्तियों (Premium Properties) को ई-ऑक्शन (e-auction) द्वारा निस्तारण की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदत्त की जाती है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं	योजना का नाम	आय वर्ग	भूखण्ड/आवास/प्लैट नंबर	कुल संख्या
1-	चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर	उच्च आय वर्ग	17-E-65, 17-E-66	02
2-	चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर	मध्यम आय वर्ग-ब	17-E-378	01
3-	चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर	ई.डब्ल्यू.एस.	19/826-F	01
			कुल महत्वपूर्ण सम्पत्तियां	04

उक्त आदेशों को आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

Ycy
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0मा0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत-....., रा0आ0मा0, (सम्बन्धित)
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., रा0आ0मा0, (सम्बन्धित)
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
18. प्रभारी अधिकारी, नागरिक सेवा केन्द्र, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
19. मास्टर फाईल।

Ycy
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक